



<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इतिशायस्य जज्ञ</p>
<p>10/5/22</p>	<p><del>गार्डी के वकील</del> <del>अनुपस्थित</del>  <del>पत्रावली</del> <del>आज</del>  <del>दिनांक</del> <del>जामल</del> <del>उडि.</del>  <del>पेश हो</del>                        (नेम) <del>सहायक कलेक्टर</del>                      (S.D.O.) <del>बालोतरा</del></p>
<p>14-6-22</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब                      अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली                      दिनांक 30-6-22 को पेश हो।</p>
<p>30/6/22</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब                      अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली                      दिनांक 30/6/22 को पेश हो।</p>
<p>09.09.22</p>	<p>वकील प्रार्थी अनुपस्थित। ग्रंथि वृद्धावस्था के कारण                      हो चुका है। ऐसी वृद्धा में आबैदन पत्र को                      आगे चलाना का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता                      है। लिहाजा आबैदन पत्र को इसी स्टेज पर                      रखा जा सकता है।                      पत्रावली फैसला <del>शामल</del> <del>डॉक्टर</del> <del>दाखल</del>                      दफ्तार हो।                        सहायक कलेक्टर                      (S.D.O.) बालोतरा</p>